



प्रेषित,

सभी कार्यपालक पदाधिकारी,
निबंधक, जन्म-मृत्यु,
सभी उप निबंधक, जन्म-मृत्यु,
सभी राजस्व पदाधिकारी,
पटना नगर निगम, पटना।




विषय:- पटना नगर निगम के अन्तर्गत सभी अंत्येष्टी घाटों पर पंजीकृत मृतकों का मृत्यु प्रमाण-पत्र का ससमय निष्पादन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक पटना नगर निगम के अन्तर्गत सभी अंत्येष्टी घाटों पर किये गये दाह-संस्कार के पंजीकरण के आलोक में निर्गत किये जाने वाले मृत्यु प्रमाण-पत्र के सुगम निस्तारण हेतु निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैं:-

1. घाट पर प्रत्येक दाह-संस्कार के पंजीकरण के उपरान्त वहाँ प्रतिनियुक्त डाटा इंटी ऑपरेटर के द्वारा मृत्यु के स्थान के आधार पर मृत्यु से संबंधित ब्यौरा dc.crsorgi.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।
2. संबंधित उप-निबंधक द्वारा नियमानुसार जाँचोंपरान्त 24 घंटा के अन्दर मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।
3. घाट पर प्रतिनियुक्त डाटा इंटी ऑपरेटर के द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र मिलान कर पटना नगर निगम के पोर्टल पर उसी दिन (Same Day) अपलोड किया जायेगा। पोर्टल के द्वारा मृतक के परिजनों को मोबाईल पर SMS एवं Link के माध्यम से मृत्यु प्रमाण-पत्र होगा।
4. संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी मृत्यु प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी मृतक के परिजन को 48 घंटा के अन्दर तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. मृत्यु का स्थान पटना नगर निगम क्षेत्र से बाहर होने की स्थिति में घाट से संबंधित अंचल के राजस्व पदाधिकारी के द्वारा पटना नगर निगम के पोर्टल पर दिये गये Login के मद्द से उसी दिन (Same Day) Burning Certificate निर्गत किया जायेगा।
6. उपरोक्त समस्त प्रक्रिया 48 घंटे के अंदर पूर्ण कराना अनिवार्य है।
7. संबंधित अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया एवं कार्य का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।
8. किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं अनियमितता हेतु संबंधित डाटा इंटी ऑपरेटर एवं उप-निबंधक की जिम्मेवारी निर्धारित कर नियमानुसार कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

अतः उक्त का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।


नगर आयुक्त
पटना नगर निगम